

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 20, मंगलवार, शाके 1947- नवम्बर 11, 2025 Kartika 20, Tuesday, Saka 1947- November 11, 2025	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त(जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवंबर 11, 2025

जी.एस.आर.65.-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक **एफ.2(3)/एफडी/एफआर/एसपीएफसी/2025** दिनांक 28.08.2025 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,
मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 28, 2025

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-**(1) इन नियमों का नाम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 42 का संशोधन.-राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 42 के उप-नियम (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति “प्रदाय के लिए प्रदत्त” के स्थान पर, अभिव्यक्ति “प्रदाय के लिए प्रदत्त या दी जाने वाली सेवाओं” प्रतिस्थापित की जायेगी।

3.नियम 75 का संशोधन.-उक्त नियमों के नियम 75 के उप-नियम (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति “माल के प्रदाय” के स्थान पर, अभिव्यक्ति “माल के प्रदाय या दी जाने वाली सेवाओं” प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.2(3)/एफडी/एफआर/एसपीएफसी/2025]

राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,

संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.